

कुमार कमलेश,  
अपर मुख्य सचिव।



अ0शा0प0सं0: 53/पी0बी0/के0पी0ए0/2019

नियोजन विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

योजना भवन, लखनऊ-226001

फोन: 0522-2238973 (का.)

दिनांक: 25.10.2019

प्रिय महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वान्वल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए नियोजन अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 32/2018/148 बी0पी0/35-1-2018-8/1(11)/2018 दिनांक 28 दिसम्बर,2018 द्वारा पूर्वान्वल विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वान्वल सम्भाग की समस्याओं एवं उनके निदान की रणनीति हेतु माह दिसम्बर,2019 के प्रथम पक्ष में राष्ट्रीय स्तर की 03 दिवसीय संगोष्ठी (सेमिनार) जनपद गोरखपुर, उ0प्र0 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा। इस सेमिनार में विभिन्न सेक्टरों जैसे-कृषि, जल प्रबन्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा, ग्राम्य विकास, सड़क, पशुपालन, कौशल विकास एवं उद्योग आदि विविध विषयों पर चर्चा की जायेगी। सन्दर्भित सेमिनार में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मा0 मंत्रीगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों /संस्थानों के शिक्षाविदों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा तथा विविध विषयों पर सक्सेस स्टोरी/शोध पत्र भी प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसमें निम्न बिन्दुओं को समाहित किया जायेगा:-

1. पूर्वान्वल सम्भाग के विकास में बाधक समस्या।
2. चिन्हित समस्या के समाधान हेतु सुझाव।
3. चिन्हित समस्या हेतु प्रस्तुत किये गये सुझाव के कियान्वयन की प्रक्रिया।
4. समस्या के निदान से सम्भावित परिणाम (आउटकम)।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उत्तर प्रदेश के पूर्वान्वल सम्भाग के विकास हेतु सन्दर्भित सेमिनार में यदि कोई शोध पत्र/सक्सेस स्टोरी आपके द्वारा प्रस्तुत करना चाहने की स्थिति में उसकी प्रति हार्ड तथा साफ्ट कापी (E-mail-directorapdplanning@gmail.com) दिनांक 30 नवम्बर,2019 तक नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( कुमार कमलेश )

1. पूर्वान्वल विकास बोर्ड के मा0 पदाधिकारीगण।
2. पूर्वान्वल सम्भाग से सम्बन्धित सभी मा0 सांसद/मा0 विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि।
3. नीति आयोग के मा0 उपाध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधि।
4. बोर्ड के विभागीय सदस्य/विशेष आमंत्रित विभागीय सदस्य।
5. पूर्वान्वल सम्भाग के मण्डलों के मण्डलायुक्त।
6. प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपति।
7. प्रमुख शिक्षण संस्थानों के निदेशक/प्राचार्य।
8. पूर्वान्वल सम्भाग के जनपदों के जिलाधिकारी।
9. प्रमुख गैर सरकारी संगठन।
10. प्रमुख प्रतिनिधि मण्डल।